पर्यटन विभाग के होटलों में ईसाई धर्म और अंग्रेजी का प्रचार

1132. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों में प्रत्येक कमरे में बाईबल की प्रति रखी रहती है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कारण हैं कि ये होटल इस संबंध में बहुत पत्र व्यवहार के बावजूद अपने दफ्तरी काम काज में भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं; और

(ग) क्या पर्यटन विभाग इस बात की जांच करेगा कि इन होटलों के लेटर पैड, लिफाफे, पोस्टकार्ड, रजिस्टर, रसीद बुकें और अन्य स्टेशनरी केवल अंग्रेजी में ही क्यों छपायी जाती हैं और ये होटल अपना काम-काज भी केवल अंग्रेजी में ही क्यों करते हैं और बताएगा कि ये होटल न केवल ईसाई धर्म और संस्कृति बल्कि अंग्रेजी भाषा के प्रसार और प्रचार के केन्द्र कैसे बन गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) धार्मिक संस्थाओं द्वारा दान में दी गई पवित्र पुस्तकें, जिनमें बाईबल भी शामिल है, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में रखी गई हैं।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम से राजभाषा अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

(ग) राजभाषा नियम के अन्तर्गत, टेंडर फार्म/टेंडर नोटिस सहित कार्यालय की लेखन-सामग्री, यथा रबर की मोहरों, लिफाफों, पत्र शीर्षों, अन्य ग्राफिक मदों का द्विभाषी रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 52 मेन्यू कार्ड द्विभाषी हैं। साथ ही, कुछ और मेन्यू कार्ड द्विभाषी रूप में तैयार कराए जा रहे हैं। सभी होटलों के फार्मों के अनुवाद का कार्य केन्द्रीय रूप से निगम स्तर पर किया जाता है। अभी तक विभिन्न होटलों के 650 फार्म अनुदित हो चुके हैं तथा इन्हें द्विभाषी रूप से साईक्लोस्टाईल मुद्रित करा लिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के तार पते द्विभाषी रूप से पंजीकृत कराए गए हैं।

विभागेतर डाकघर और विभागेतर एजेंट

1133. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागेतर डाकघरों की संख्या कितनी हैं और डाकघरों की कुल संख्या में उनका प्रतिशत कितना है तथा उन्हें और उनके समान दर्जे के डाकपालों और डाकियों को दिए जा रहे वेतन और अन्य सुविधाओं जैसे वर्दी, जूते, थैले, पैंशन, भविष्यनिधि आदि में क्या अन्तर है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें से कितने व्यक्ति नियमित किए गए हैं और उनका प्रतिशत कितना है तथा उनका ग्रामीण-शहरी अनुपात क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि विभागेतर डाकपाल और विभागेतर कर्मचारी संचार विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं और विभाग इस विभागेतर प्रणाली को समाप्त करने

का इच्छुक नहीं हैं; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की कुल संख्या 1,18,819 है तथा विभागीय डाकघरों की संख्या 25,168 है। 31-3-87 की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की प्रतिशतता 82.52 है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों तथा नियमित सेवा में उनके समकक्ष कर्मचारियों की देय तुलनात्मक भत्ते एवं वेतनमान विवरण-I में दिए गए हैं (नीचे देखिये)। वैसे अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की तुलना नियमित कर्मचारियों से करना उचित नहीं होगा क्योंकि उनकी सेवा शर्तों में पर्याप्त अंतर है। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी अंशकालिक कर्मचारी होते हैं और सामान्यत: वे 2 से 5 घंटे तक कार्य करते हैं। अपनी आय की प्रतिपूर्ति करने के लिए वे अन्य जीवन निर्वाह व्यवसाय कर सकते हैं। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दी जाने वाली वस्तुओं का विवरण विवरण-II में दिया गया है (नीचे देखिये) । चूंकि अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के अंशकालिक कर्मचारी होते हैं अत: वे पेंशन, भविष्य निधि आदि के पात्र नहीं होते हैं। वैसे वार्धक्य निवर्तन पर वे 3000/- रुपये तक अनुग्रह उपदान पाने के पात्र होते हैं बशर्ते कि उन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) ऐसा अतिरिक्त विभागीय एजेंट जो मासिक भत्ते के आधार पर निर्धारित घंटों तक विभाग के लिए अंशकालिक कार्य करता है स्वाभाविक रूप से पूर्ण कालिक कर्मचारी नहीं माना जा सकता। अत: उनके भत्तों और अन्य सुविधाओं की तुलना विभागीय कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। इसमें उनकी सेवाओं को नियमित करने का मामला भी शामिल है। तथापि, उन्हें विभागीय पदों पर खपा लिया जाता है बशर्ते कि उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर उनका चयन ग्रुप "घ"/पोस्टमैन संवर्ग में कर लिया जाए। यह चयन पदों की उपलब्धता आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त कुछ शर्तों के आधार पर इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में वे उत्तीर्ण हों। अत: गत 3 वर्षों के दौरान नियमित किए गए व्यक्तियों की संख्या और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में उनकी प्रतिशतता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की भर्ती मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं सुलभ करने के लिए की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कि डाक परियात के आधार पर नियमित विभागीय डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता है, लोगों की डाक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोले जाते हैं जो सीमित परियात के लिए डाक सेवाएं सुलभ कराते हैं। गत समय में अतिरिक्त विभागीय प्रणाली की जांच राज्य सभा की याचिका समिति सहित अनेक समितियों द्वारा की गई है। सरकार द्वारा नियुक्त अंतिम समिति अर्थात् अतिरिक्त विभागीय प्रणाली पर समिति (सबूर समिति) ने भी इस प्रणाली को समाप्त करने के पक्ष में अपना निर्णय नहीं दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित डाक परियात को देखते हुए तथा पर्याप्त परियात के न होते हुए भी आवश्यक डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की अंश-कालिक प्रणाली जारी रखनी पड़ रही है।

विवरण—I

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 1-7-86 से देय भत्ते इस प्रकार हैं :—

	न्यूनतम	अधिकतम
	रु०	रु०
1. अतिरिक्त विभागीय उप पोस्ट मास्टर/ अ०वि० मार्टर/अ०वि० उप रिकार्ड क्लर्क	385 प्रतिमाह	620 प्रतिमाह
2. अ०वि० शाखा पोस्टमास्टर—	275 „ „	440 „ „
3. अ० वि० वितरण एजेंट/अ०वि० डाक वाहक एवं अन्य अ०वि० एजेंट		
2 घंटे से अधिक कार्य के लिए—	270 „ „	420 „ „
2 घंटे से कम कार्य के लिए—	240 रु० प्रतिमाह नियमित	

इसके अतिरिक्त उन्हें किराया एवं मकान भत्ता, महंगाई भत्ता, साईकिल भत्ता, कार्यालय रख-रखाव भत्ता जो पात्रता आधार पर होता है, भी दिया जाता है।

मुख्य पोस्टमैं। का वेतनमा : 950-20-1150 रु० रो०-25-1500, पोस्टमैनों का वेतनमा : 825-15-900 रु० रो० 20-1200 तथा ग्रुप "घ", का वेतनमान 750-12-870-रु० रो० 14-940 है।

विवरण—II

1. इस समय अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं :—

(क) जो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी आउटडोर कार्य करते हैं उन्हें उपयुक्त सिले दिए जाते हैं।

(ख) पात्र क्षेत्रों में (इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मापमान एवं वर्षा के अनुसार) 3 वर्षों में एक बार छाते सप्लाई किए जाते हैं।

(ग) कीचड़ और दलदल वाले क्षेत्रों अथवा जहरीले सर्प वाले क्षेत्रों में आउटडोर ड्यूटी करने वाले अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को 6 वर्ष में एक बार एक जोड़ी रबर के जूते सप्लाई किए जाते हैं।

2. नवूर समिति की सिफारिशों के आधार पर शारीरिक कष्टों से बचाव के लिए तथा कार्य सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आउटडोर ड्यूटी करने वाले अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को वाटर प्रूफ कोट, कोट परकास, बर्फ के चश्मे, उपयुक्त किस्म के हैडगियर तथा वाटर बूट ऐसे शाखा डाकघरों में सप्लाई किए जाते हैं जहां ऐसी मदों की सप्लाई का औचित्य बनता हो।